POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2024/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2024 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान में सत्ता की बाजी बीजेपी ने जीती है। जयपुर की सांगानेर सीट से जीते भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही दियाकुमारी और प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री बने हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी मौजूदगी में रामनिवास बाग स्थित अलबर्ट हॉल के सामने आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ लेने के बाद भजनलाल ने मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने उनके जुड़े दोनों हाथों को इस तरह पकड़ा मानो विश्वास दिला रहे हों कि वह उनके साथ हैं और राजस्थान के विकास में वह किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ सभी लाभार्थियों तक जन-कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच करवाई जाएगी।

इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी काम करेगी और अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करेगी। संभवतया इसी विश्वास और भरोसे, राजस्थान की जनता ने भाजपा को फिर से प्रदेश की बागडोर सौंपी है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे से निपटे लाखों मामले

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है।

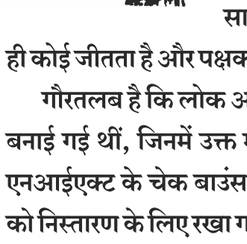

नालसा के निर्देश पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से हाल ही इस साल की चतुर्थ और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हाइकोर्ट सहित प्रदेश की निचली कोर्ट, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों व रेवन्यू कोर्ट में पक्षकारों के बीच राजीनामे से एक दिन में प्रि-लिटिगेशन व पेंडिग 49 लाख 71 हजार 103 केसों का निपटारा किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जो विवादों को तय करने के साथ ही सामाजिक रिश्तों को प्रगाढ़ बना सकता है। इसमें न कोई हारता है और न ही कोई जीतता है और पक्षकार खुद मिलजुल कर अपने केसों में फैसला करते हैं।

गौरतलब है कि लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए हाइकोर्ट सहित निचली कोर्ट में 505 बेंच बनाई गई थीं, जिनमें उक्त मामले सुलझाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में खासतौर पर राजीनामें योग्य एनआईएक्ट के चेक बाउंस केस, एमएसीटी, श्रम व नियोजन संबंधी, भूमि विवाद और राजस्व मामलों को निस्तारण के लिए रखा गया था।

टिकट के साथ पॉप कार्न क्यों? देना होगा हर्जाना

जोधपुर निवासी अनिल भंडारी, उर्मिला भंडारी, रंजू जैन और शांतिचंद पटवा ने जिला उपभोक्ता आयोग में मिराज सिनेमा बायोस्कॉप और मिराज एंटरटेनमेंट के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया कि 24 मई 2018 को फिल्म देखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन 140 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से चार टिकट बुक कराए थे। सिनेमा हॉल पहुंचने पर उन्हें 90 रुपए प्रति टिकट की दर से 360 रुपए के टिकट जारी किए गए और 200 रुपए के पॉप कार्न के 4 पैकेट जबरदस्ती और नाजायज तरीके से दिए गए। जिनमें महज पांच दस रुपए के पॉप कार्न थे। ऐतराज करने पर भी पॉप कार्न खरीदना अनिवार्य बताया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने मिराज सिनेमा बायोस्कॉप और मिराज एंटरटेनमेंट को दोषी माना और परिवादियों को 200 रुपए पॉप कार्न की कीमत, 20,000 रुपए बतौर हर्जाना, 5000 रुपए परिवाद व्यय कुल 25,200 रुपए दो माह की अवधि में देने के आदेश दिए हैं। साथ ही दर्शकों से मुनाफाखोरी कर जबरन पॉप कार्न बेचने के दंड स्वरूप 50 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में भी जमा कराने होंगे। आयोग ने इस बारे में जिला कलेक्टर को भी नाजायज वसूली के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए फैसले की प्रति भिजवाने को कहा है।

गांवों में बने उत्पाद पहुंचेंगे विदेशों तक

केंद्र सरकार ने देश के हर जिले को निर्यात केंद्र बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण जिलों के उद्यमियों द्वारा तैयार अनूठे उत्पाद विदेशों तक आसानी से निर्यात किए जा सकेंगे। नई व्यवस्था अमल में आने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऐसे उत्पादों के लिए आर्डर कर सकेंगे।

इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय, अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ करार कर रहा है। इनकी मदद से ग्रामीण जिलों के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ा जाएगा जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तगड़ी मांग है। इससे छोटे स्तर के कारोबार और छोटे-मंझोले उद्योगों (एमएसएमई) को वैश्विक बाजार तक पहुंच मुहैया हो सकेगी। इसके लिए अमेजन इंडिया के साथ करार हो चुका है और अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ भी चर्चा चल रही है।

ग्राम न्यायालय व्यवस्था का हो विस्तार

प्रदेश की नई सरकार के घोषणा पत्र में मिशन मोड पर न्यायपालिका के खाली पद भरे जाने, सभी जिलों में आर्बिट्रेशन व मिडिएशन सेल स्थापित करने और प्रदेश में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने के वादे सराहनीय कदम है। देखा गया है न्यायालयों में होने वाली लंबी सुनवाई और वकीलों की फीस से आम गरीब आदमी पीड़ित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों की न्याय संबंधित समस्याओं को दूर करने में राज्य सरकार काफी मददगार हो सकती है। मसलन ग्राम न्यायालय व्यवस्था का विस्तार कर जमीन जायदात व अन्य छोटे विवादों, नि:शुल्क विधिक सहायता का दायरा बढ़ाकर ग्रामीणों को राहत दिलाई जा सकती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नई राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी।

जिम्मेदार भूले गरीबों का गेहूं उठाना

केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों के राशन का पूरा कोटा जारी किया। उसमें से प्रदेश के खाद्य विभाग के अधिकारी भारतीय खाद्य निगम के डीपो से 1.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाना ही भूल गए।

वर्ष 2019 से दिसंबर 2022 तक जितना कोटा जारी किया गया, उसमें से राज्य के खाद्य विभाग ने 1.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं कम उठाया। गेहूं के कम उठाव के लिए विभाग के बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन अब सब चुप्पी साधे बैठे हैं। राशन की दुकानों पर कम गेहूं पहुंचने पर राशन डीलर गरीबों को टालते रहे। इससे पूरे राज्य में 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को राशन का गेहूं कम मिला। अब विभाग के अधिकारी गेहूं का पूरा उठाव बता कर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगे हैं।

निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे जिम्मेदारी

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया जाएगा। सरकार प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। औद्योगिक विकास, बेरोजगारों को रोजगार, यातायात की समुचित व्यवस्था और उच्च शिक्षा खास प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कमी लाने का प्रयास होगा। पिछली सरकार में चोरी, अत्याचार, पेपर लीक जैसे अपराध बढ़े थे। इनमें कमी लाने के प्रयास होंगे।

स्वास्थ्य केंद्र होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर

राजस्थान के 16752 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरों के नाम बदले जाएंगे। चुनाव पूरे होते ही राजस्थान ने केंद्र के फैसले की पालना में यह आदेश जारी किए हैं।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों को अब 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कहा जाएगा। इसकी टैगलाइन भी बदल कर 'आरोग्यम परमं धनम' होगी आदेश में कहा गया है कि टैगलाइन को राज्यों की भाषा में लिखा जाएगा। प्रदेश में 16752 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने पर 92.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

पीएम आवास योजना में राज्य पिछड़ा

राज्यों के लिए शहरी आबादी को सस्ते मकान दिलाने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की प्रगति काफी कमजोर रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20 राज्यों में राजस्थान 14वें नंबर पर है। जबकि पिछली भाजपा सरकार के समय 8 साल पहले राजस्थान पहले स्थान पर था।

आवास योजना की हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत देश में शहरी लोगों को 78.27 लाख आवास बना कर सुपुर्द किए गए, जबकि 5 साल में राजस्थान में सिर्फ 1.75 लाख आवास ही सुपुर्द किए गए। यह कुल आवासों का मात्र 2.23 प्रतिशत है।

इसके साथ ही पूरे देश में स्वीकृत आवासों में कंपलीट करके लोगों को हस्तांतरित करने में भी राजस्थान फिसड्डी रहा है। राजस्थान को 2 लाख 89 हजार 446 आवास स्वीकृत किए गए। उनमें से सिर्फ 1 लाख 75 हजार 561 आवास ही पूरे बना कर लोगों को दिए गए।

कश्मीर पर हर भारतीय का हक

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। तब केंद्र ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था।

इसके बाद फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं लगीं, जिन पर अब संविधान पीठ ने फैसला दिया है। इस फैसले से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे। साथ ही, हर भारतीय नागरिक को कश्मीर में वे सभी हक मिलेंगे, जो देशभर में मिलते हैं।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि अदालत राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं कर सकती।

जन-जन तक पहुंचेगी जनहित योजनाएं

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि भाजपा राजस्थान को समग्र रूप से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य करेगी। केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र विकास होगा। सरकार का समाज कल्याण और आधारभूत सुविधाओं पर खास फोकस रहेगा। महिला अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता होगी। आपराधिक मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएं जाएंगे।

नई सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, घोषणा पत्र पर काम करते हुए वे मुद्दे हल किए जाएंगे जिनसे जनता त्रस्त थी।

नई सरकार ने पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला लिया है। भविष्य में पेपरलीक न हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अपराध, महिला अत्याचार बर्दास्त नहीं होंगे। संगठित अपराध खत्म करने को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनेगी। कानून व्यवस्था सुधारना, भ्रष्टाचार मिटाना और महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। यूपी की तर्ज पर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई करने के भी संकेत दिए है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सरकार की हर योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी।

स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन

केंद्र सरकार अगले चार सालों में 15 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराएगी। यह ड्रोन 2023-24 और 2025-26 के दौरान दिए जाएंगे। एसएचजी महिला पायलटों के जरिए इसे खेती के लिए किसानों को किराए पर दे सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। अगले चार वर्षों की इस योजना पर 1,261 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस योजना से एसएचजी से जुड़ी लगभग 10 करोड़ महिलाएं एग्री-टेक का हिस्सा बन सकेंगी। ड्रोन की लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्र सरकार वहन करेगी।

युवाओं को करें नेतृत्व के लिए तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत मौजूदा दौर में लंबी छलांग लगाएगा। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के युवाओं पर है। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और लाभार्थी भी। हमें युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करना है कि वह देश को नेतृत्व प्रदान करे और राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दें।

मोदी ने 'विकसित भारत 2047: युवाओं की आवाज' का आगाज करते हुए राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का रोडमैप अकेले सरकार नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र तय करेगा। देश के प्रत्येक नागरिक की इसमें सक्रिय भागीदारी होगी।

किसान सम्मान निधि अभियान

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान विशेष संतृप्ति (सेचुरेशन) अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने व योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएंगी।

सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के शेष रहे कार्यों तथा भूमि सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी हेतु सक्षम कराना एवं ई-केवाईसी भी करवाई जा सकेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कदम' जयपुर